# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 03/2023 तारीख रजू:–14.02.2023

*पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह ( आर.ए.एस.)*

1. देवीशंकर उर्फ देवीराम पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जांगिड़ जाति जांगिड़ (ब्राम्हण) निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर

**उपस्थित:**

प्रार्थी वकील:–श्री बच्चू सिंह जाट

अप्रार्थी:– तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर

निर्णय दिनांक:– 27.05.2024

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0**

**–: निर्णय :–**

1. यह है कि प्रार्थी ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा का काश्तकार है। प्रार्थी के नाम ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्वयं के नाम की खातेदारी भूमि है, जिसका नया खाता संख्या 155 एवं पुराना खाता संख्या 423 के खसरा नंबर 62 रकबा 3.5300 है0 व खसरा नंबर 63/1286 रकबा 0.26 है0 किस्म बारानी है। प्रार्थी का पूर्ण नाम देवीशंकर शर्मा उर्फ देवीराम पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जाति जांगिड़ (शर्मा) है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करते समय देवीराम पुत्र रामगोपाल पुत्र रामगोपाल जाति ब्राम्हण अंकित कर दिया, जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम देवीशंकर शर्मा पुत्र रामगोपाल जाति जांगिड़ (शर्मा) अंकित होनी चाहिये थी। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, भामशाह, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक आदि में देवीशंकर पुत्र रामगोपाल जाति जांगिड़ (शर्मा) निवासी डिडायच तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त फरमाया जाकर देवीशंकर पुत्र रामगोपाल जाति शर्मा को हटाकर उसके स्थान पर जाति जांगिड़ (शर्मा) अंकित करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.06.03 17:00:20 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

3. यह है कि प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/856 दिनांक 20.05.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

➢ यह है कि प्रार्थी का नाम देवीशंकर शर्मा पुत्र रामगोपाल जांगिड़ (शर्मा) है।

➢ यह है के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 62, 63/1286 देवीशंकर पुत्र रामगोपाल जाति ब्राम्हण के नाम दर्ज है।

➢ यह है कि मुताबिक दस्तावेजों के प्रार्थी की जाति ब्राम्हण के स्थान पर जांगिड़ किया जाने की अभिशंषा की जाती है।

4. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। विद्वान वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का पूर्ण नाम देवीशंकर शर्मा उर्फ देवीराम पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल जाति जांगिड़ (शर्मा) है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करते समय देवीराम पुत्र रामगोपाल पुत्र रामगोपाल जाति ब्राम्हण अंकित कर दिया, जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम देवीशंकर शर्मा पुत्र रामगोपाल जाति जांगिड़ (शर्मा) अंकित होनी चाहिये थी। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, भामशाह, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक आदि में देवीशंकर पुत्र रामगोपाल जाति जांगिड़ (शर्मा) निवासी डिडायच तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर अंकित है। साथ ही माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के में विचाराधीन मु0नं0 75/2012 उनवान देवीराम पुत्र रामगोपाल जाति जांगिड़ (शर्मा) निवासी ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर बनाम तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2012 में खसरा नंबर 62 रकबा 3.53 है0, खसरा नंबर 63/1286 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम डिडायच पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया था, जिसकी पालना में राजस्व कर्मियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय उक्त गलती हुई है।

5. हमने प्रार्थी के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। खाता संख्या 155 के खसरा नंबर 62 रकबा 3.5300 है0 एवं खसरा नंबर 63/1286 रकबा 0.2600 है0 वाके ग्राम डिडायच में प्रार्थी का नाम देवीराम पुत्र रामगोपाल जाति ब्राम्हण दर्ज होना पाया गया है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम डिडायच दिनांक 14.05.2024 के मुताबिक गांव व पड़ोसियों के अनुसार देवीशंकर जांगिड़ (शर्मा) उर्फ देवीराम पुत्र स्व0 रामगोपाल की जाति ब्राम्हण न होकर जांगिड़ है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड [illegible] बुक, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक [illegible] बुक के अनुसार भी प्रार्थी की जाति ब्राम्हण न होकर जांगिड़ होना पाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.06.03 17:00:20 IST
Reason: SelfAttested

6. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि खाता संख्या 155 के खसरा नंबर 62 रकबा 3.5300 है0 एवं खसरा नंबर 63/1286 रकबा 0.2600 है0 वाके ग्राम डिडायच में प्रार्थी का नाम देवीराम पुत्र रामगोपाल जाति ब्राम्हण दर्ज हो गया है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

## –:आदेशः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 155 के खसरा नंबर खसरा नंबर 62 रकबा 3.5300 है0 व खसरा नंबर 63/1286 रकबा 0.26 है0 किस्म बारानी वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में प्रार्थी का नाम देवीराम पुत्र रामगोपाल जाति ब्राम्हण के स्थान पर देवीराम पुत्र रामगोपाल जाति जांगिड़ किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं, एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाने हैं कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाकर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें।

पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.06.03 17:00:20 IST
Reason: SelfAttested